न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः—प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.
राजस्व अपील संख्याः— 19/2016
जीसीएमएस सं.:— 2016/00024
अपीलांट्सः—

1. बाबुसिंह पुत्र श्री गंगासिंह उर्फ गंगाराम,
2. मृतक जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगासिंह उर्फ गंगाराम के कायम मुकामान :—
2/1. श्रीमती माडूदेवी पत्नि जगदीशसिंह,
2/2. जेठूसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह,
2/3. मघसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह, जातियान—राजपुरोहित, निवासीगण— ग्राम घण्टियाला तहसील व जिला जोधपुर।
3. मोहन सिंह पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम, सभी जातियान—राजपुरोहित, निवासीगण— ग्राम घण्टियाला तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पोडेन्ट्स :— **बनाम**

1. मृतक श्री पुखसिंह पुत्र श्री हरजी के कायम मुकामानः—
1/1. श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नि श्री पुखसिंह,
1/2. हड़मानसिंह पुत्र श्री पुखसिंह,
1/3. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री पुखसिंह,
1/4. शैतानसिंह पुत्र श्री पुखसिंह,
1/5. पप्पुसिंह पुत्र श्री पुखसिंह, सभी जातियान—राजपुरोहित, निवासीगण— ग्राम घण्टियाला तहसील व जिला जोधपुर।
2. घेवरसिंह पुत्र श्री हरजी,
3. गिरधारीसिंह पुत्र श्री हरजी,
4. पानी पत्नि श्री हरजी, सभी जातियान—राजपुरोहित, निवासीगण— ग्राम घण्टियाला तहसील व जिला जोधपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत पोपावास, जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 114 जो ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा दिनांक 24.04.1975 को पारित किया गया।

आदेश

दिनांकः— 31/5/26

उपस्थितिः— श्री महेन्द्र प्रसाद गेंवा, किशन लाल गेंवा अपीलांट।
रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलांट्स की ओर से एक अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि अदालत मातहत के अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस एक ही दादा के पौत्र है जिनकी वंशावली अपनी में दर्शायी गयी है। ग्राम पंचायत पोपावास तहसील जोधपुर जिला जोधपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 114 पारित समय रेस्पोडेन्ट के नाम भी कोलम संख्या 11 में अंकित किया था तथा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में भी पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि मंगलसिंह व गंगासिंह फौत होने से उनके लड़कों के नाम दर्ज किये गये जो मंजूर फरमाया जावे तथा सरपंच ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा भी सर्व सहमति से नामान्तरकरण पास किया गया सो रेकर्ड के अमल दरामद हो, लिखा है लेकिन बाद में बाबुसिंह जगदीशसिंह व मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह के नाम पर लकीर फेर कर काट दिये गये एवं रेकर्ड में अमल दरामद करते समय केवल हरजी पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

श्री मंगलसिंह का ही नाम लिखा गया जो आज भी उनके पुत्रों का नाम दर्ज है तथा गंगासिंह के पुत्र बाबूसिंह, जगदीशसिंह व मोहनसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं है। ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 42, 49, 234 व 236 कुल रकबा 74.11 बीघा भूमि अपीलान्ट के दादा मंगलसिंह पुत्र श्री सुलतानसिंह की वक्त बन्दोबस्त से खातेदारी थी तथा मंगलसिंह के दो पुत्र हरजी एवं गंगासिंह थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 114 से केवल हरजी के पुत्र रेस्पोडेन्ट के नाम ही राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किये गये जबकि अपीलांट के नाम जानबुझकर छोड़ दिये गये इस कारण अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में जोड़ने हेतु यह अपील पेश की जा रही है। मौके पर वक्त बंदोबस्त बंदोबस्त से लेकर आज दिन तक 1/2 हिस्सा में अपीलान्ट बाबूसिंह, जगदीशसिंह व मोहनसिंह व 1/2 हिस्सा में पुखसिंह, घेवरसिंह व गिरधारीसिंह काबिज है तथा दोनो परिवार बिना रोक टोक काश्त करते आ रहे है। अपीलांट की 1/2 हिस्सा की भूमि के बारे में रेस्पोडेन्ट भी स्वीकार करते है तथा काश्त करने में दखलअदांजी नहीं कर रहे है तथा हमेशा कहते आये है कि जमीन आपकी ही है, कौन निकालता है, खड़ो और खाओ लेकिन अभी हाल ही में राजस्व अभियान माह जुलाई 2016 में केम्प में चल कर बंटवाड़ा करने के लिये कहा गया तो रेस्पोडेन्ट ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया ओर कहा कि नाम जिसकी जमीन है तुम्हारा नाम नहीं है इस कारण जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी राजस्व रेकर्ड में नाम नहीं होने की जानकारी माह जुलाई 2016 में हुई एवं पूरी जानकारी म्यूटेशन एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति लेने से दिनांक 09.08.2016 को हुई इस प्रकार इस भूमि के संबध में वाद हेतु दिनांक 09.08.2016 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां लेने पर गांव पोपावास में उत्पन्न हुआ। चूंकि अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपील की कोई समय सीमा नहीं है फिर भी धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रस्तुत अपील न्यायालय के अधिकर क्षेत्र में होने से सुनने का अधिकार है।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम जोड़ कर नये सिरे से नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत कराने के आदेश फरमाया जावें।

उपरोक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि ग्राम घंटियाला के खसरा नं. 42, 49, 234 व 236 उसके परदादा सुलतानसिंह के नाम से दर्ज थी। उक्त शपथ–पत्र सुलतानसिंह का सजरा खानदान दशाते हुए 1/2 हिस्सा मंगलसिंह व 1/2 हिस्सा काशीराम के बंट में रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

अन्य रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 5 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 06 भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर से उक्त विचाराधीन प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्व. मंगलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह की वंशावली पटवारी हल्का ने मौतबिरानों व सरपंच से पुछताछ के आधार पर बनायी जाकर रिपोर्ट में दर्शायी गयी है। तहसीलदार ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि नामान्तरकरण संख्या 114 में कॉलम नं. 11 में हरजी पुत्र मंगलसिंह, बाबुसिंह, पुखसिंह, जगदीशसिंह, मोहनसिंह पुत्र गंगाराम कौम पुरोहित सा. देह दर्ज है तथा कॉलम नं. 14 में जरिये मंगलसिंह व गंगाराम के फौत होने पर लड़को के नाम नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत पोपावास तत्कालीन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया व रिकॉर्ड अमल दरामद हो कर अंकन है। उक्त नामान्तरकरण में गंगाराम के वारिसानों का नाम पेन द्वारा लाईन खींचकर काटा गया है। पुछताछ में मंगलसिंह के दो पुत्र हरजी व गंगासिंह होने बताए तथा मंगलसिंह की दो पुत्रीयां धर्मोबाई व सायरबाई भी होना बताया है।

हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र, रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र, रेस्पोडेन्ट सख्या 06 तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब, अपीलांट अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं उनके द्वारा दिये गये तर्को एवं समग्र पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विचार किया गया। अपीलांटस् की ओर से यह अपीलाधीन नामान्तरकरण अपील मंगलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 114 ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा स्वीकृत किया गया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। नामान्तकरण संख्या 114 के अवलोकन किया गया जिसके अनुसार यह कृषि भूमि ग्राम घंटियाला तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

सेवा में

42, 49, 234 व 236 में नामा0 के कॉलम नं. 5 में खातेदार मंगलसिंह पुत्र सुलतानसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार का नाम दर्ज थी। कॉलम नं. 16 में ''जरिये मंगलसिंह व गंगाराम के फौत होने से उनके जायंदा लड़कों के नाम दर्ज किया जिसे मंजूर फरमावें'' का नोट अंकित है। उसके अनुसार कॉलम नं. 11 में ''हरजी पि. मंगलसिंह, बाबुसिंह, जगदीशसिंह,मोहनसिंह पि. गंगाराम कौम पुरोहित सा. देह'' दर्ज हो रखा है लेकिन बाबुसिंह, जगदीशसिंह, मोहनसिंह के नाम पर पेन से लाईन खींचकर नाम काट रखे है। उक्त नाम पर पेन से लाईन की गई उसके पास भू.अ.निरीक्षक के ईनिशियल हस्ताक्षर मौजूद है लेकिन नामों पर पेन से लाईन खींचने का कोई कारण व नोट अंकित नहीं है न ही कोई पटवारी व म्यूटेशन स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर है। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त के पीछे भी कोई सजरा खानदान अंकित नहीं है। ऐसे में उक्त नामान्तकरण में पेन से लाईन खींचकर गंगासिंह के वारिसानों नाम जिस तरह से राजस्व रेकर्ड से हटाया गया है व संदेहास्पद्र है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण सर्वसम्मति से पारित कर रेकर्ड में अमल दरामद हो का नोट लगा रखा है। ऐसे उक्त नामो पर पेन से लाईन खींचकर की गई नामा0 रिकॉर्ड में दुरूस्ती साफ तौर दिखाई प्रतीत हो रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 तहसीलदार की ओर से स्व. मंगलसिंह की दर्शायी गयी वंशावली अनुसार मंगलसिंह की दो पुत्रींया धर्मोबाई व सायरबाई भी थी उनका नाम भी फौतदगी नामान्तरकरण में शामिल नहीं किया गया जबकि वह स्व. मंगलसिंह की विधिक वारिसान थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण में मंगलसिंह के सभी विधिक वारिसानों के नाम आना चाहिए था। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 114 में वारिसानों का नाम छोड़ना त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट्स का नाम पूर्व से राजस्व रेकर्ड में इंद्राज था बिना किसी आधार पर अपीलांट का नाम हटाया दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी अवस्था में अपीलाधीन नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाकर नये सिरे से स्व. मंगलसिंह पुत्र सुलतानसिंह के सभी विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया लाजमी है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर अपीलांट्स अपील अपीलांटस् की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा दिनांक 24.04.1975 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 24.04.1975 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार जोधपुर इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूल खातेदार स्व. मंगलसिंह पुत्र सुलतानसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार के समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 8/4/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)